फा.सं. एस-20011/1/2020-तकनीकी (भाग -1) भारत सरकार इस्पात मंत्रालय तकनीकी प्रभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110107 दिनांक: 01 नवंबर, 2022

आदेश

इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 की दिनांक 22 दिसंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना का. आ. 4637 (ई) और दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के उत्तरवर्ती आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित भारतीय मानकों को लागू करने की तिथि को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एतद्वारा आगे बढ़ाया जाता है:-

क्रमसं.	आईएस सं.	उत्पाद	विस्तार की अवधि	लागू होने की संशोधित तारीख
1	आईएस 1110:1990	फैरोसिलिकॉन-विनिर्देश	03 महीने	23 जनवरी, 2023

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(परमजीत सिंह)

अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार

File No. S-20011/1/2020-TECH (Part-1) Government of India Ministry of Steel Technical Division

Udyog Bhawan, New Delhi- 110107 Dated: 1st November, 2022

ORDER

In pursuance to the gazette notification of the Steel & Steel Products (Quality Control) Order 2020 S.O. 4637(E) dated 22nd December, 2020 and subsequent order dated 26th April, 2022 the date of enforcement of the following Indian Standards is hereby extended further as per the details given below:-

SI.No.	IS No.	Product	Period of Extension	Revised date of enforcement
1	IS 1110:1990	Ferrosilicon-Specification	03 months	23 rd January, 2023

This issues with the approval of competent authority.

(Parmjeet Singh)

Additional Industrial Adviser